चरान खड्ड बस्ती पुनर्वास समिति, धर्मशाला

सेवा में,

श्री डॉ. पी.एल. पूनिया, अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार

विषय : चरान खड्ड बस्ती, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में रह रहे लोगों के पूनर्वास हेतू

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है हम चरान खड्ड बस्ती, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से उजाड़े गये परिवार स्थानीय जिला प्रशासन व नवगठित स्थानीय नगर निगम, धर्मशाला प्रशासन के असंवेदनशील कार्यवाही के पीड़ित हैं। हमें जिला प्रशासन व नगर निगम, धर्मशाला प्रशासन ने इस वर्ष 16-17 जून, मानसून के समय में हमारी 35 साल पूरानी बस्ती से उजाड़ दिया गया जिससे 290 परिवारों को बेघर होना पड़ा। अधिकतर परिवार राजस्थान की "सांसी जनजाति" व 50 से 60 परिवार महाराष्ट्र की "मांगारोड़ी जनजाति" के हैं। प्रशासन ने इस कार्यवाही को करके **भारत के संविधान की धारा 21, जीने के अधिकार, आवास का अधिकार व गरिमा का अधिकार** का उल्लंघन किया है। जिला प्रशासन व नगर निगम ने बिना किसी पूर्नवास नीति के हमें अपने घरों से बेघर कर दिया बड़े ही अनौपचारिक रूप से पांच अलग गावों - पास्सू, सरान, गमरु, योल व डगवार में खाली ज़मीन दिखा के बोला गया 'यहाँ बस जाओ'। इन गांवो के स्थानीय लोगों ने हमारे बसने पर विरोध जताया। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में प्रशासन को अवगत कराए जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने हम लोगों के प्रति बिना किसी संवेदनशीलता के झुग्गियां तुड़वा दी। रातों रात, गर्भवती महिलायें, बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग, बीमार लोग सड़क पर आ गए। प्रशासन की अनदेखी यहीं रुकी नहीं बल्कि पुलिस के बल पर सड़क के किनारे रह रहे हम लोगों को गाड़ीओं में ठूस कर अलग-अलग जगहों में छोड़ दिया गया। मानसून के समय में लोगों को अपने परिवार व बचे हुये सामान के साथ 10 दिन तक दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते बड़ी कठिनाइओं के बाद हमें सर छुपाने के लिये चैतड़ू और शील्लाचौक के पास किराये की जगह में रहना पड़ रहा है जो निरंतर कर पाना मुश्किल हो रहा है। 35 सालों से हम धर्मशाला शहर में मेहनत करके अपनी आजीविका चला रहे थे जो कि अब शहर से दूर होने के कारण प्रभावित हो रही है।

जिला प्रशासन व नगर निगम धर्मशाला ने खुले में शौच करने व चरान खड्ड क्षेत्र में सीवर लाइन के साथ छेड़छाड़ की वजह से भविष्य में महामारी फैलने के खतरे को बस्ती को हटाने का कारण बताया। यदि शासन को संवेदनशीलता से महामारी के खतरे से निपटने के लिये कार्य करना ही था तो हमारी 35 साल पूरानी बस्ती में सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था का इन्तजाम करना चाहिये था। जहां एक तरफ केन्द्र सरकार बड़े उल्लास के साथ "स्वच्छ भारत मिशन" की मुहिम को पूरे देश में चला रही है वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में जिला प्रशासन व नगर निगम ने हमारी पूरी बस्ती को ही साफ कर दिया।

बस्ती को हटाने के बाद हमनें माननीय हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सक्षम विभागों व प्राधिकारिओं से अपनी समस्याओं के निवारण के लिये लगातार मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन दिये लेकिन प्रशासन द्वारा आजतक कोई कार्यवाही नहीं करी गई (सभी ज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न हैं)। साथ ही 29/06/2016 को हमनें राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी इस सन्दर्भ में अपनी शिकायतों की याचिका दायर करी जिसका फाइल संख्या 137/8/4/2016 है व डायरी संख्या 113194/CR/2016 है (याचिका की प्रति इस पत्र के साथ संल्गन हैं)।

अत: हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं की आप हमारे मानवाधिकारों की रक्षा के लिये ठोस कदम उठायें।

हमारी मुख्य मांगें निम्न प्रकार हैं :

1. हमारे तुरन्त पूनर्वास के लिये आप राज्य सरकार एंव स्थानीय प्रशासन को निर्देश दें की जिससे तुरन्त पूनर्वास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके।
2. 35 सालों से धर्मशाला नगर में रहने के बावजुद स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार ने हमें मतदान देने के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है व साथ ही देश की पीडीएस प्रणाली से अलग रखा गया है। अत: हमें मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाये व राशन कार्ड मुहया करवाये जाये।

आशा करते हैं की आप हमारे अधिकारों की रक्षा के लिये सुनिश्चित कदम उठायेंगे।
धन्यवाद

प्राथी
चरान खड्ड बस्ती पूर्नवास समिति व समस्त प्रभावित जनता

सुनीता

सत्यभामा

पदम

स्मृति देवी

सन्तुराम

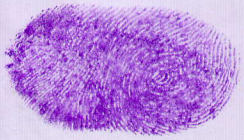

बोनकू

लाहुदास कमेटी मैंबर

दयानन्द

→ राजु

→ राज

SANTOSH

Moti lal

रमेश

आशा

बागो

शंकर कुमार

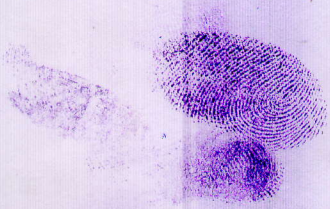

गंगो

सन्तोष

पटानी

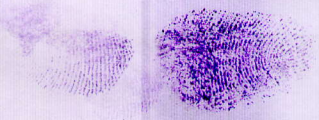

राधा

विजय

विनकी

सिमा

Veeru

Rajiya

शांति

मैंहना